न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–टी0ए0 10 सन 2023

पंजीयन दिनांकः– 30.1.2023

1.नाथू भील पिता हजारी भील ।

2.छोगा पिता हजारी भील मृतक के बजाय–

2/1प्रहलाद पिता स्व छोगा भील ।

2/2नाराणीबाई पुत्री स्व.छोगा भील ।

2/3गुड्डीबाई पुत्री स्व.छोगा भील ।

2/4जुमाबाई पत्नी स्व.छोगा भील ।

3.रतन पिता हजारी भील ।

4.मोहन पिता हजारी भील सभी निवासीयान भेरूजी का खेडा तहसील एवं जिला चित्तौडगढ ।

--अपीलाटंस

विरूद्व

1.मोहम्मद खिंजरखान पिता मोहम्मद जफरखान मुसलमान निवासी–म.न.221 सै04 गंधीनगर चित्तौडगढ ।

2.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 5/2021 आदेश दिनांक 9.1.2023

उपस्थित–श्री शांतिलाल बसेर –अधिवक्ता अपीलांट

श्री बसंतीलाल पोखरना–अधिवक्ता रेस्पो01

श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता ।

–0–

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या01/प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) का पेश किया गया जो उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 9.1.2023 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या01 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौडगढ स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल पटवार मंडल ऐराल में स्थित भूमि आराजी नम्बर 1653/664, 1664/665,666,667 कुल किता–4 रकबा 1.0000हैक्टेयर पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने हेतु ग्राम सुरजपाल की निकटतम विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 689 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 548 वर्गमीटर की कीमत 108.74रू प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दो गुणा कुल राशि 1,19,201रूका भुगतान आराजी नम्बर 689 के खातेदारान को किये जाने पर आराजी नम्बर 689 रकबा 0.77 है0 में 548 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया

..से असन्तुष्ठ होकर विपक्षीगण/अपीलांटगण ने उक्त अपील इस न्यायालय में ..त की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

अधिवक्त अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया अपीलाथीगण को सूचित किये बगैर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट से मिलकर मनमाफिक रिपोर्ट बनाई । तथा प्रथम रिपोर्ट में आराजी नम्बर 689 के मध्य दिनांक 6.7.2022 को बनाई जिसमें आराजी नम्बर 689 के मध्य रास्ता प्रतावति किया इस पर अपीलाथीगण की आपत्ति होने पर पुनः दिनांक 28.10.2022 को रिपोर्ट बनाई जिसकी सूचना अपीलार्थीगण को नही दी तथा अपीलार्थीगण के कुंए पर होते हुये आराजी नम्बर 686 व 689 के मध्य रास्ता प्रस्तावित किया जिसे विचारण न्यायालय ने मान कर दिनांक 9.1.2023 को तथ्यों के विपरीत स्वीकार कर रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया जो विधि एवं नियम विरूद्व होकर निररत योग्य है ।अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विचारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप एवं राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251ए के अन्तर्गत नियमों के तहत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावलियो का अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने मोजा सूरजपोल में अपने खातेदारी में दर्ज कृषि आराजित पर आने जाने का रास्ता आराजी नमबर 689 जो कि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजियात के सबंध में तहसीलदार चित्तौडगढ से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर रेस्पोडेन्ट की आराजियात पर आने जाने का अत्यनतीत रास्ता होना मानते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया हे जो न्यायोचित होने से अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है ओर विचारण न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 5/2021 प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 9.1.2023 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ